प्रगतिशील शिक्षा संस्था एवं अन्य

बनाम

राजेन्द्र एवं अन्य

(सिविल अपील सं. 1318/2008)

15 फरवरी, 2008

[ए.के. माथुर एवं अल्तमास कबीर, जेजे]

सेवा कानून:

महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारीगण (सेवा शर्तें) नियम, 1981 - आरआर 14, 15 और 15(6) - महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारीगण (सेवा शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977-धारा 5(3) - नियुक्ति - परिवीक्षा पर असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पूर्व प्रबंधन द्वारा कर्मचारी की सेवा समाप्ति -का औचित्य-निर्धारित किया-विद्यालय प्रबंधन द्वारा अधिनियम कि धारा 5(3) के तहत नियम 15(6) व नियम 14 कि पालना नहीं कि गई-विद्यालय प्रंबधन कि ओर से जो दस्तावेज सेवा समाप्ति के आदेश को उचित ठहराने के लिए प्रस्तुत किए गए वह संदिग्ध प्रकृति के हैं-इस प्रकार सेवा समाप्ति उचित नहीं-न्यायाधिकरण के साथ ही उच्च न्यायालय का आदेश बरकरार रखा।

अपीलकर्ता संख्या-1 संस्था द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 को दो वर्ष के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया। हालाँकि अपीलकर्ता-संस्था के प्रबंधन ने असंतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर परिवीक्षा अवधि पूरी होने से पहले प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया। प्रत्यर्थी संख्या-1 ने सेवा समाप्ति आदेश को इस आधार पर चुनौती दी कि उसके प्रदर्शन या आचरण में कुछ भी गलत नहीं था तथा सेवा समाप्ति धारा 5(3) महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारीगण (सेवा शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 के उल्लंघन में थी और प्रबंधन के पास सेवा समाप्ति आदेश को सही ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। न्यायाधिकरण ने सेवा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को प्रत्यर्थी को बहाल करने का निर्देश दिया। समादेश याचिका में उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और समादेश याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

न्यायलय द्वारा अपील खारिज कर अभिनिर्धारित किया:

1.1 परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित है और यह निर्धारित किया गया है कि ऐसी शक्ति नियुक्ति प्राधिकारी के पास है जो परिवीक्षाधीन के प्रदर्शन को सही नहीं पाए जाने पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक हैं और संतुष्टि भी

नियुक्ति प्राधिकारी की ही हैं जब तक कि सेवा समाप्ति पर कोई कलंक न लगाया जाए या परिवीक्षाधीन को किसी ऐसी कमी के लिए कारण बताने के लिए न बुलाया जाए जो बाद में परिवीक्षाधीन की सेवा समाप्ति का कारण बन सकती है, तब तक प्रबंधन या नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा समाप्ति के लिए कोई स्पष्टीकरण या कारण देने की आवश्यकता नहीं है सिवाय उसे सूचित करने के अलावा कि उसकी सेवाएँ असंतोषजनक पाई गई हैं।[पैरा 13] [1012-डी-एफ]

1.2 एक परिवीक्षाधीन की सेवाओं की समाप्ति के मामले में जिस संतुष्टि पर महाराष्ट्र निजी विद्यालयों कर्मचारीगण (सेवा शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 की धारा 5 की उप-धारा (3) के अनुसार पहुचां जाता हैं उसे महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारीगण(सेवा की शर्तें) नियम, 1981 के नियम 15 के विशेष संदर्भ उप-नियम (6) साथ पढ़ा जाना चाहिए जिसमे यह प्रावधान है कि परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी का मूल्यांकन निष्पक्ष रुप से प्रमुख द्वारा किया जाना चाहिए और उसके परिवीक्षा अवधि और ऐसे मूल्यांकन का अभिलेख रखा जाना चाहिए उसकी यदि दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाए तो इसका मतलब यह होगा कि उनकी सेवाएं समाप्त करने से पहले विद्यालय प्रबंधन एमईपीएस अधिनियम की धारा5 की उप-धारा (3) के तहत निहित शक्तियों का सहारा लेने से पहले परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी के प्रदर्शन को ध्यान में रखना होगा। [पैरा 14] [1012-जी-एच; 1013-ए-बी]

1.3 जबकि नियम 14 और 15 एमईपीएस नियम 1981 की धारा 5 की उप-धारा(3) के प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकते यह कहना होगा कि नियम 15 के उप-नियम (6) की आवश्यकता एक एेसा कारक होगा जिसे विद्यालय प्रबंधन को उन शक्तियों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना होगा जो निस्संदेह उसके पास हैं और अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत मान्यता प्राप्त हैं। [पैरा 15] [1013-सी]

1.4 विद्यालय प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत की गई गोपनीय प्रतिवेदन के भाग-I और भाग-II में दिखाई देने वाली अलग-अलग तारीखों के कारण विश्वास किए जाने योग्य नहीं हैं। इससे केवल यह पता चलता है कि यह दस्तावेज़ संदेह से परे नहीं हैं और विद्यालय प्रबंधन द्वारा एमईपीएस अधिनियम के धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करने से पहले नियम 15(6) और नियम 14 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था। [पैरा 16 और 17] [1013-ई; 1014-ए]

1.5 इन परिस्थितियों में विद्यालय न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय के मत से सहमत है और विवादित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। [पैरा 18] [1014-बी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2008 की सिविल अपील संख्या 1318

मुम्बई उच्च न्यायालय, नागपुर बैंच, नागपुर के 1997 की समादेश याचिका संख्या 939 से उत्पन्न निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.2006 से।

अपीलकर्ताओं के लिए शिवाजी एम. जाधव।

प्रत्यर्थीगण के लिए एस.एस. शिंदे, आशा जी. नायर, पी.सी. उत्तरदाताओं के लिए मडखोलकर, मनीष पीतल दीपक गुप्ता और चंदर शेखर आश्री।

न्यायालय का निर्णय अल्तमास कबीर, जे. द्वारा दिया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यहां अपीलकर्ता संख्या-1 एक संस्था है जो एक विद्यालय चलाती है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या-1 को 4 अगस्त 1992 को परिवीक्षा पर नियुक्त किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसरण में प्रत्यर्थी संख्या-1 ने 8 अगस्त, 1992 को विद्यालय में अपना पदभार ग्रहण किया और उसकी नियुक्ति को प्रत्यर्थी संख्या-2 शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) जिला परिषद, जिला वर्धा, बॉम्बे, 8 अगस्त,1992 से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर अनुमोदित किया गया था। साधारणतया परिवीक्षा अवधि 7 अगस्त,1994 को समाप्त हो जानी थी लेकिन उक्त अवधि पूरी होने से पहले प्रत्यर्थी संख्या-1 की सेवा अपीलकर्ता-संस्था के प्रबंधन द्वारा 31 जुलाई,1994 से समाप्त कर दी गई थी, यद्यपि सेवा समाप्ति का आदेश

1 अगस्त 1994 को इस आधार पर किया गया था कि परिवीक्षा अवधि के दौरान उसका कार्य असंतोषजनक पाया गया। अपीलकर्ता-संस्था ने नोटिस वेतन के रूप में प्रत्यर्थी संख्या-1 को 3076/-रुपये की राशि का भुगतान भी किया जब उसकी सेवाए समाप्त की गई।

3. प्रत्यर्थी संख्या-1 ने महाराष्ट्र निजी विद्यालयों कर्मचारीगण (सेवा शर्तें) विनियमन अधिनियम 1977 (जिसे आगे चलकर "एमईपीएस, अधिनियम" के रूप मे उल्लिखित किया गया हैं) की धारा 9 के तहत विद्यालय न्यायाधिकरण के समक्ष अपनी सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती दी। प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा दी गई चुनौती का मूल आधार यह था कि उसके प्रदर्शन या आचरण में कुछ भी गलत नहीं था और गणित जो उसका विषय था में परिणाम शत-प्रतिशत था। प्रत्यर्थी संख्या-1 ने यह भी तर्क दिया कि उसकी सेवा समाप्ति एमईपीएस अधिनियम की धारा 5(3) का उल्लंघन थी और प्रबंधन के पास सेवा समाप्ति आदेश को उचित ठहराने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।

4. प्रत्यर्थी संख्या-1 द्वारा की गई उपरोक्त अपील का प्रबंधन द्वारा कड़ा विरोध किया गया और यह दोहराया गया कि प्रत्यर्थी संख्या-1 की सेवाओं को इस तथ्य के कारण समाप्त किया गया था कि उसका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था।

5. हालाँकि विद्यालय न्यायाधिकरण ने मुख्य रूप से दो आधारों पर प्रत्यर्थी संख्या-1 के पक्ष में फैसला सुनाया और यह निष्कर्ष निकला कि जैसा कि महाराष्ट्र निजी विद्यालयों के कर्मचारीगण (सेवा शर्तें) नियम 1981 (जिसे आगे चलकर "एमईपीएस अधिनियम" के रूप मेंे उल्लिखित किया गया हैं) के नियम 14 और 15 के अनुसार यह आवश्यक है कि प्रत्यर्थी संख्या-1 के काम का मूल्यांकन अपीलकर्ता-संस्था द्वारा नहीं किया गया था और प्रबंधन की ओर से जो प्रस्तुत किया गया था वह बाद में तैयार किया गया था। न्यायाधिकरण ने यह भी पाया कि संस्था ने प्रत्यर्थी संख्या-1 की सेवाओं को समाप्त करने के लिए कोई संकल्प नहीं लिया था और जिस दस्तावेज़ पर प्रबंधन ने आश्रय लिया था वह 6 अगस्त,1994 को ही प्रबंधन तक पहुंचा था उस समय तक प्रत्यर्थी संख्या-1 की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। उपरोक्त के कारण और विशेष रूप से एमईपीएस नियम, 1981 के नियम 15(6) के उल्लंघन के कारण न्यायाधिकरण ने अपील को स्वीकार किया और सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ता-संस्था को प्रत्यर्थी संख्या-1 को बहाल करने के निर्देश के साथ 1 अप्रैल,1997 से उसी पद पर और उन्हें 1 अगस्त,1994 से विद्यालय में अपने कर्तव्यों में पुनः शामिल होने की तारीख तक उनके बकाया वेतन का भुगतान करने के लिए कहा।

6. विद्यालय न्यायाधिकरण के उक्त आदेश को संस्था द्वारा 1997 की समादेश याचिका संख्या 939 के माध्यम से बॉम्बे उच्च न्यायालय की

नागपुर बेंच के समक्ष चुनौती दी गई थी। विद्यालय न्यायाधिकरण द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए उच्च न्यायालय ने समादेश याचिका को खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की गई।

7. विद्यालय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों के बावजूद उच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर विचार किया और एमईपीएस अधिनियम की धारा 5(3), नियम 14 और 15 और विशेष रूप से उप-नियम(6) एमईपीएस नियम, 1981 के नियम 15 के प्रावधानों के प्रभाव पर भी विचार विमर्श किया। उच्च न्यायालय ने पाया कि परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति धारा 5 की उप-धारा(3) के तहत प्रबंधन के पास उपलब्ध थी धारा 5 की उपधारा(3) एमईपीएस अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उप-नियम(6) नियम 15 को भी ध्यान में रखा जाना था।

8. जिस प्रकार प्रत्यर्थी की सेवाएं उसके काम के उचित मूल्यांकन के बिना परिवीक्षा अवधि में समाप्त की गई और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रबंधन के पास कोई अवसर नही था उन दस्तावेजों पर विचार करने के लिए जो प्रधानाध्यापिका द्वारा कथित तौर पर तैयार किए गये थे उच्च न्यायालय ने विद्यालय न्यायाधिकरण के निष्कर्षों की पुष्टि की और समादेश याचिका को खारिज कर दिया।

9. संस्था के प्रबंधन की ओर से जो हमारे समक्ष अपील में हैं यह आग्रह किया गया है कि विद्यालय न्यायाधिकरण और साथ ही उच्च न्यायालय दोनों ही ने उन सामग्रियों को गलत समझा है जो प्रधानाध्यापिका द्वारा तैयार की गई थीं और उनकी ओर से प्रस्तुत की गई थीं और उनके द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-1 कि सेवा समाप्त करने के लिए उस पर आश्रय किया गया था यह भी प्रस्तुत किया कि वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन अपने सभी अनुलग्नकों के साथ 7 जुलाई, 1994 को प्रत्यर्थी संख्या-1 को विधिवत दिखाई गई थी जिस पर उसके हस्ताक्षर और फॉर्म पर तारीख स्पष्ट होती हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या-1 को उसके प्रदर्शन और उसके आधार पर किए गए मूल्यांकन के बारे में विधिवत सूचित किया गया था जो प्रत्यर्थी संख्या-1 के मामले को स्पष्ट रूप से अप्रमाणित कर देता हैं कि उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान उसके प्रदर्शन का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया था कि उसकी सेवाएँ समाप्त करने से पहले उसे इसकी सूचना नहीं दी गई थी। यह आग्रह किया गया कि नियम 14 और 15 की आवश्यकता और विशेष रूप से एमईपीएस नियमों के 15 (6) का सख्ती से अनुपालन किया गया था जो कि संस्था विद्यालय के प्रबंधन में थी और प्रत्यर्थी संख्या-1 की सेवा समाप्त करने का निर्णय लेने में सक्षम थी यह भी प्रस्तुत किया गया कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने ही अन्यथा निर्णय लेने में गलती की गई हैं और यदि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा दी जाने वाली

व्याख्या को स्वीकार किया जाता है तो इसके परिणामस्वरूप कानून पर नियमों का अधिभावी प्रभाव हैं जो कि प्राधिकारी को परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है यदि उसकी राय में परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया जाता है।

10. अपीलकर्ता-संस्था की ओर से दी गई दलीलों का विरोध करते हुए प्रत्यर्थी संख्या-1 और प्रत्यर्थी संख्या-2 दोनों के विद्वान अधिवक्ताओ ने तर्क दिया कि विद्यालय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों के फैसले में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं। विद्यालय प्रबंधन की ओर से न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की संदिग्ध प्रकृति के कारण और विशेष रूप से शिक्षण कर्मचारियों के लिए वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जो नियम 15 के उप-नियम (6) के तहत हैं जिन्हें प्रबंधन बनाए रखने के लिए बाध्य था। प्रत्यर्थी संख्या-1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह दोहराया गया कि उक्त प्रतिवेदन जैसा कि विद्यालय न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों द्वारा चर्चा की गई है उसे केवल दस्तावेजीकरण के उद्घेश्य से दिखाने के लिए तैयार किया गया था और जब प्रत्यर्थी संख्या-1 की सेवाओं की समाप्ति का आदेश पारित किया गया था तब प्रबंधन द्वारा उस पर विचार नहीं किया गया था। यह दिखाया गया कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका द्वारा प्रगतिशील शिक्षा संस्था के सचिव अपीलकर्ता को

संबोधित पत्र जिसमें गोपनीय प्रतिवेदन की एक प्रति संलग्न है दिनांक 24 जून, 1994 है जबकि प्रतिवेदन स्वयं 4 जुलाई, 1994 तारीख का है जिसने बिना किसी अनिश्चित शब्दों के यह स्थापित किया कि प्रधानाध्यापिका का अग्रेषण पत्र कथित तौर पर 24 जून,1994 को भेजा गया था यह बाद में सोचा गया था या तब तैयार किया गया था जब प्रतिवेदन स्वयं तैयार नहीं था। उपरोक्त के अलावा यह भी बताया गया कि मूल्यांकन प्रपत्र के अंत में समीक्षा प्राधिकारी के हस्ताक्षर में किसी भी तारीख का संकेत नहीं था जिस पर हस्ताक्षर किए गए थे जिससे एक बार फिर यह संदेह पैदा हो गया कि दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए गए थे। केवल अभिलेख के उद्देश्यों के लिए तैयार किया गया है लेकिन एमईपीएस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा(3) के साथ पठित एमईपीएस नियम 1981 के नियम 15 के उप-नियम (6) में बताए गए उद्देश्य के लिए नहीं।

11. अंत में यह बताया गया कि गोपनीय प्रतिवेदन के पहले पृष्ठ पर दाएँ शीर्ष कोने पर 6 अगस्त, 1994 की तारीख अंकित हैं जिसे रिकॉर्ड के आधिकारिक प्रेषण की तारीख के रूप में समझाने की कोशिश की गई हैं। विद्यालय प्रबंधन द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त तिथि यह भी संकेत देती हैं कि उक्त दस्तावेज़ विद्यालय के प्रबंधन के समक्ष नहीं था जब सेवा समाप्ति का आदेश पहले 1 अगस्त, 1994 को पारित किया गया था।

12. इसी तरह की दलीलें प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से पेश की गईं और यह निवेदन किया गया कि न तो विद्यालय न्यायाधिकरण के आदेश और न ही उच्च न्यायालय के आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

13. संबंधित पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार करने पर मुख्य मुद्दा जो हमारे विचार में यह हैं की इस अपील में निर्धारण की आवश्यकता हैं कि क्या नियम 14 और 15 के प्रावधान और विशेष रूप से उप-नियम (6) नियम 15 एमईपीएस नियम, 1981 प्रबंधन में निहित शक्तियों के अर्तगत धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत नियंत्रित करेगा। परिवीक्षाधीन की सेवाओं को समाप्त करने के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित हैं और यह बार-बार निर्धारित किया गया हैं कि ऐसी शक्ति नियुक्ति प्राधिकारी के पास हैं जो परिवीक्षाधीन को परिवीक्षा अवधि के दौरान प्रदर्शन असंतोषजनक पाए जाने पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है। परिवीक्षा अवधि के दौरान मूल्यांकन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ही किया जाना है और उसकी संतुष्टि नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा भी करनी हैं जब तक कि सेवा समाप्ति का कोई कलंक नहीं लगाया जाता है या परिवीक्षाधीन को किसी भी कमी के लिए कारण बताने के लिए नहीं कहा जाता है जो बाद में परिवीक्षाधीन की सेवा की समाप्ति का कारण बन सकता हैं प्रबंधन या नियुक्ति प्राधिकारी को सेवा समाप्त करने के लिए लिए कोई स्पष्टीकरण या कारण देने की आवश्यकता नहीं हैं सिवाय यह सूचित करना कि उसकी सेवाएँ असंतोषजनक पाई गई।

14. इस मामले के तथ्य परिवीक्षा और सेवा समाप्ति से संबंधित सामान्य मामलों से भिन्न हैं। एक परिवीक्षाधीन की एमईपीएस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत प्राप्त की जाने वाली संतुष्टि को एमईपीएस नियम, 1981 के नियम 15 के साथ उप-नियम (6) के विशेष संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। जो यह प्रावधान करता है कि परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी का प्रदर्शन निष्पक्ष रूप से होना चाहिए उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान विस्तृत मूल्यांकन प्रमुख द्वारा किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन का अभिलेख रखा जाना चाहिए। यदि दोनों प्रावधानों को एक साथ पढ़ा जाए तो इसका मतलब यह होगा कि उनकी सेवाएं समाप्त करने से पहले विद्यालय प्रबंधन एमईपीएस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत निहित शक्तियों का सहारा लेने से पहले परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी के प्रदर्शन को ध्यान में रखना होगा।

15. तदनुसार, जबकि एमईपीएस नियम, 1981 के नियम 14 और 15 एमईपीएस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के प्रावधानों की अवहेलना नहीं कर सकते हैं। यह कहना उचित होगा कि उप-नियम (6) नियम 15 की आवश्यकताएं एक ऐसा कारक होगीं जिसे विद्यालय प्रबंधन को उन शक्तियों का प्रयोग करते समय ध्यान में रखना होगा जो निस्संदेह उसके पास हैं और अधिनियम की धारा5 की उप-धारा (3) के तहत मान्यता प्राप्त हैं।

16. यह हमें अगले प्रश्न पर लाता हैं जो यह हैं कि विद्यालय प्रबंधन के समक्ष 1 अगस्त,1994 को सेवा समाप्ति का आदेश पारित करते समय पर्याप्त सामग्री थी जैसा कि पहले विद्यालय न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा चर्चा कि गई हैं कि जो गोपनीय प्रतिवेदन विद्यालय प्रबंधन कि ओर से प्रस्तुत किया गया हैं वह भाग-I और भाग-II दोनों में दिखाई देने वाली अलग-अलग तारीखों के कारण विश्वसनीय नहीं हैं। आत्म मूल्यांकन फॉर्म के भाग-I में संबंधित शिक्षक का विवरण और प्रतिवेदक प्राधिकारी अर्थात् विद्यालय की प्रधानाध्यापिका की टिप्पणियां दी गई हैं। उक्त भाग में तारीख 4 जुलाई,1994 दिखाई गई है जबकि भाग-II के अंत में तारीख जो शिक्षक के प्रदर्शन का विवरण देने वाली गोपनीय प्रतिवेदन का रूप दिनांक 24 जून, 1994 है जैसा प्रधानाध्यापिका द्वारा संस्था के सचिव को लिखे गए अग्रेषण पत्र की दी गई तारीख के अनुरूप हैं फॉर्म पर अलग-अलग तारीखों से पैदा हुई उलझन को और बढ़ाते हुए आत्म मूल्यांकन फॉर्म के भाग-I पर तीसरी तारीख दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि दस्तावेज़ संभवतः 6 अगस्त,1994 को विद्यालय के प्रबंधन को भेज दिए गए थे। जो तारीख प्रत्यर्थी की सेवा समाप्ति की तारीख अर्थात् 1 अगस्त,1994 से पहले की हैं।

17. यह केवल यह दर्शाता हैं कि उक्त दस्तावेज़ संदेह से परे नहीं हैं और एमईपीएस अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों

में विद्यालय प्रबंधन को लागू करने से पहले नियम 15(6) और नियम 14 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था।

18. ऐसी परिस्थितियों में, हम विद्यालय न्यायाधिकरण के साथ-साथ न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हैं और हमें इस अपील में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं दिखता है।

19. अत: अपील खारिज की जाती है। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राजेन्द्र कुमार-II, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।